भारत सरकार

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या: 1052

दिनांक 25 जुलाई, 2025 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

अंग और ऊतक बैंकों का संचालन

1052. श्री बृजमोहन अग्रवालः

क्या **स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) छत्तीसगढ़ और संघ राज्यक्षेत्र सहित सभी राज्यों में संचालित अंग और ऊतक बैंकों की सूची का राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) विगत पांच वर्षों के दौरान संगठन द्वारा दान किए गए और प्रत्यारोपित अंगों की वर्ष-वार संख्या कितनी है;

(ग) उक्त राज्यों सहित सभी राज्यों के अंगदाताओं और प्राप्तकर्ताओं के संबंध में राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार आंकड़ों का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या देश में अंग और ऊतक दान के बारे में जागरूकता बढ़ाने की कोई योजना है; और

(ङ) यदि हां, तो राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्री प्रतापराव जाधव)

(क): दान किए गए अंगों को रिट्रीवल के बाद यथाशीघ्र प्रत्यारोपित किया जाना चाहिए और उन्हें बैंक में जमा नहीं किया जाना चाहिए। दान किए गए ऊतकों को बैंक में जमा किया जाता है। राज्य सरकारों ने आवश्यकतानुसार ऊतक बैंक स्थापित किए हैं और मानव अंग और ऊतक प्रतिरोपण अधिनियम, 1994 के तहत पंजीकरण प्रदान करते हैं।

ऊतक बैंको की सूची का विवरण वेबलिंक https://www.notto.mohfw.gov.in/approvedhospitalslist.htm. पर देखा जा सकता है।

(ख): राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा दी गई सूचना के अनुसार पिछले पांच वर्षों के दौरान संगठन द्वारा दान किए गए और प्रत्यारोपित अंगों की संख्या इस प्रकार है:

वर्ष	कुल अंगदाता	प्रत्यारोपित किए गए अंग
2020	6812	7443
2021	11198	12259
2022	14300	16041
2023	16542	18378
2024	16597	18910

(ग): छत्तीसगढ़ सहित सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के अंगदाताओं और प्राप्तकर्ताओं संबंधी आंकड़ों का विवरण **अनुलग्नक** में दिया गया है।

(घ) और (ङ): क्षेत्रीय अंग एवं ऊतक प्रत्यारोपण संगठनों (रोट्टों) और राज्य अंग एवं ऊतक प्रत्यारोपण संगठनों (सोट्टो) के साथ मिलकर, नोटो देश भर में अंग एवं ऊतक दान को बढ़ावा देने हेतु जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करता है। ये संगठन विभिन्न हितधारकों, जैसे सरकारी मंत्रालयों और विभागों, नगर निगमों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, पेशेवर सोसाइटियों, गैर सरकारी संगठनों, समुदाय-आधारित समूहों, स्कूलों, विश्वविद्यालयों, चिकित्सा, नर्सिंग और अन्य संस्थानों, कॉर्पोरेट्स, पुलिस विभाग, मीडिया आदि के साथ मिलकर अंग एवं ऊतक दान को बढ़ावा देते हैं और इसके प्रति लोगों को जागरूक करते हैं। प्रत्यारोपण खेल, पोस्टर बनाना, नारा लेखन, विशेष प्रतिज्ञा अभियान जैसी विभिन्न जागरूकता कार्यकलाप नियमित रूप से आयोजित किए जाते हैं।

नोट्टो की वेबसाइट www.notto.mohfw.gov.in पर अंग और ऊतक दान के बारे में जानकारी प्रसारित की जाती है, जिसमें सूचना और संचार सामग्री का प्रदर्शन भी शामिल है। इसके अलावा, अंगदान के बारे में जानकारी, टेली-परामर्श और समन्वय प्रदान करने के लिए एक 24x7 कॉल सेंटर भी कार्यरत है, जिसका टोल-फ्री हेल्पलाइन नंबर (1800114770) है। सोशल मीडिया (फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, नोट्टो के यूट्यूब चैनल) के माध्यम से संदेशों का प्रचार-प्रसार प्रतिदिन किया जा रहा है।

नागरिकों को अंग और ऊतक दान के लिए प्रतिज्ञा लेने में सुविधा प्रदान करने के लिए, एक समर्पित वेब पोर्टल https://notto.abdm.gov.in कार्यशील है, जिसके माध्यम से 17 सितंबर, 2023 से अब तक 3.2 लाख से अधिक आधार सत्यापित प्रतिज्ञाएं पंजीकृत की गई हैं।

एनओटीपी के तहत, प्राप्त प्रस्तावों के आधार पर राज्यों को अनुदान प्रदान किया जाता है, जिसमें रोट्टो और सोट्टो की स्थापना, अंग प्रत्यारोपण/रिट्रीवल सेंटर और ऊतक बैंक स्थापित करने के लिए सार्वजनिक क्षेत्र में बुनियादी ढांचे को बढ़ाना, सरकारी मेडिकल कॉलेजों और ट्रॉमा सेंटरों द्वारा प्रत्यारोपण समन्वयकों की भर्ती, मृतक दाताओं का रखरखाव, अंगों का परिवहन, प्रत्यारोपण के बाद रोगक्षय-दमनकारी दवाएं, जागरूकता, प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण कार्यकलाप आदि शामिल हैं। प्रत्यारोपण कार्यक्रम को और मजबूत करने के लिए सक्रिय कार्रवाई करने के लिए राज्यों को प्रोत्साहित किया जाता है, जिसमें राज्य स्तर पर जागरूकता कार्यक्रम भी शामिल है।

<u>अनुलग्नक</u>

क्र. सं.	राज्य	अंगदाताओं की कुल संख्या	कुल प्राप्तकर्ता
1.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	0	0
2.	आंध्र प्रदेश	377	480
3.	अरुणाचल प्रदेश	0	0
4.	असम	70	71
5.	बिहार	31	31
6.	चंडीगढ़	285	324
7.	छत्तीसगढ़	77	84
8.	दिल्ली एनसीआर	4388	4497
9.	दादरा और नागर हवेली और दमन और द्वीव	0	7
10.	गोवा	8	10
11.	गुजरात	1024	1267
12.	हरियाणा	109	114
13.	हिमाचल प्रदेश	9	9
14.	जम्मू एवं कश्मीर	48	48
15.	झारखंड	9	9
16.	कर्नाटक	459	768
17.	केरल	1474	1500
18.	लद्दाख	0	0
19.	लक्षद्वीप	0	0
20.	मध्य प्रदेश	336	352
21.	महाराष्ट्र	1781	2065
22.	मणिपुर	39	40
23.	मेघालय	0	0
24.	मिजोरम	0	0
25.	नागालैंड	0	0
26.	ओड़िशा	178	186
27.	पुदुचेरी	60	68
28.	पंजाब	457	464
29.	राजस्थान	628	661
30.	सिक्किम	0	0
31.	तमिलनाडु	2255	2847
32.	तेलंगाना	988	1386
33.	त्रिपुरा	2	2
34.	उत्तर प्रदेश	478	478
35.	उत्तराखंड	17	16
36.	पश्चिम बंगाल	1010	1026

*****